# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 13/2021 राजस्व वाद

उनवान

1. श्यामलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी रूपालिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—— वादी

**बनाम**

1 भैरूलाल पिता रामा जाट निवासी रूपालिया तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2 जगनाथ पिता गोवर्धन चौहान(बडवा) निवासी कविनगर, रेल्वेस्टेशन हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3 रतन लाल पिता सुखदेव जाट निवासी करत्यास, तहसील गंगरार जिला चितौडगढ।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

——(प्रतिवादीगण)

**वाद अंतर्गत 88,89,92 क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.**

उपस्थितः: –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर (अधिवक्ता वादीगण) अनु0
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी (अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3) उप0

दिनांक– 08.09.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षी संख्या 1,2,3 और से प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 30.09.2021 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा. दी. पर बहस दिनांक 08.09.2022 को सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने उक्त वादपत्र विक्रय इकरार दिनांक 29/6/2015 पर आधारित है तथाकथित विक्रयपत्र अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है। वादी को तथाकथित अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरार की पालना हेतु सिविल न्यायालय का श्रवणाधिकार है एवं वादी वादी ने तथाकथित विक्रय इकरार की पालना हेतु जिला न्यायाधीश, भीलवाडा के समक्ष वाद/स्थगन प्रार्थनापत्र पेश कर रखा है। जिसके प्रकरण संख्या 80/2017 ई0दी0 व प्रकरण संख्या 81/2017 मु0दी0 होकर जैर कार्यवाही होकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.09.2021 होकर विचाराधीन है। वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

न्यायालय से तथ्य छुपाकर क्लीन हैण्ड से नही आकर उक्त वादपत्र पेश किया है। उक्त वादपत्र अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने से खारीज होने योग्य है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में नामान्तरणकरण हो गया, जिसकी अपील भी वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय हमीरगढ के समक्ष पेश की है। जो खारीज हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 01,02,03 का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने आदेश प्रदान करावें। वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने पर दिनांक 02.08.2022 को जवाब बन्द किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया तथा प्रतिवादी की बहस पर गौर किया। वादी ने उक्त वादपत्र विक्रय इकरार दिनांक 29/6/2015 पर आधारित है तथाकथित विक्रयपत्र अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है। वादी को तथाकथित अनरजिस्टर्ड विक्रय इकरार की पालना हेतु सिविल न्यायालय का श्रवणाधिकार है वादी न्यायालय से तथ्य छुपाकर क्लीन हैण्ड से नही आकर उक्त वादपत्र पेश किया है। वादी ने जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाडा के समक्ष उक्त विक्रय इकरार की पालना हेतु वाद पेश कर रखा है जो जैर कार्यवाही है। उक्त वादपत्र अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पपेड दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने से वादपत्र काबिले खारिजी योग्य है।

## —:: आदेश ::—

प्रतिवादी संख्या 01,02,03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 13/2021 बनावटी व झुठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी,
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:08:58 IST
Reason: SelfAttested